

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्र. ई-1-43-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में  
दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में  
दर्शाए गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ  
किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री एस.बी. सिंह (1993) कलेक्टर, खण्डवा.	कमिश्नर, ग्वालियर संभाग.

(1)	(2)	(3)
2	श्री डी. डी. अग्रवाल (1995) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग.	कलेक्टर, खण्डवा

(2) उपरोक्तानुसार श्री एस. बी. सिंह द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर  
संभाग, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आकाश त्रिपाठी,  
भाप्रसे (1998), कलेक्टर, ग्वालियर केवल कमिश्नर, ग्वालियर  
संभाग, ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2010

क्र. ई-5-808-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री राजेन्द्र शर्मा,  
आयएएस., कलेक्टर जिला शाजापुर को दिनांक 15 से

19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री धर्मेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर, शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह, कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-770-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर जिला छिंदवाड़ा को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक पांच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12, 13, 14 एवं 20, 21 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, अपर कलेक्टर, छिंदवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रशेखर नीलकंठ, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा के प्रभार मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-49-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री एस. सुहेल अली (1999) कलेक्टर, भिण्ड.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	श्री रघुराज एम.आर. (2004) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर.	कलेक्टर, भिण्ड.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. ई-1-61-2010-5-एक.—प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री एन.के. व्यास, भाप्रसे. (1996) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री एन.के. व्यास, द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त के पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के अन्तर्गत संचालक, संस्थागत वित्त के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में नियमावली 2007 के अनुसूची 2-बी में सम्मिलित अपर सचिव, मध्यप्रदेश के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

(3) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (1997), संचालक, संस्थागत वित्त तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PICU) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार श्री एन.के. व्यास द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक की अवधि के लिये श्री मनीष सिंह को संचालक, संस्थागत वित्त एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

क्र. ई-5-526-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज झालानी, आयएएस., आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा

पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 23 फरवरी से 26 मार्च, 2010 तक, बत्तीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है

(2) श्री मनोज झालानी की अवकाश की अवधि में श्री चन्द्रहास दुबे, आयएएस., अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का तात्कालिक प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज झालानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोज झालानी द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्रहास दुबे, आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के तात्कालिक प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज झालानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज झालानी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. ई-5-863-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कृष्णगोपाल तिवारी, आयएएस., (परिवीक्षाधीन), सहायक कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा को दिनांक 1 से 19 फरवरी 2010 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री कृष्णगोपाल तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कृष्णगोपाल तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2010

क्र. ई-1-86-2010-5-एक.—श्री अनुपम राजन, भाप्रसे. (1993), सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अपने

कर्तव्यों के साथ-साथ, संचालक, महिला एवं बाल विकास का प्रभार भी अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री अनुपम राजन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कामिनी चौहान रतन, भाप्रसे (1997) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास केवल संचालक महिला एवं बाल विकास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्र. ई-1-51-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हरिरंजन राव, (1994) कलेक्टर, जबलपुर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम.	अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2	श्री गुलशन बामरा (1997) संचालक, महिला एवं बाल विकास.	कलेक्टर, जबलपुर	—

(2) उपरोक्तानुसार श्री हरिरंजन राव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इकबाल सिंह बैस, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा पर्यटन विभाग एवं पदेन आयुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. ई-5-42-आयएएस-लीव-एक-5.—श्री प्रशांत मेहता, आयएएस., संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान

को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2010 द्वारा दिनांक 2 से 12 मार्च 2010 तक ग्यारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2010

क्र. ई-5-709-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएस., नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त को दिनांक 8 से 11 फरवरी 2010 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सीमा शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा पदेन अपर राहत आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सीमा शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सीमा शर्मा, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्र. ई-5-762-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी.पी. अहिरवार, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 12 अक्टूबर से 20 नवम्बर, 2009 तक, चालीस दिन का अर्जित अवकाश (कार्योंत्तर) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी.पी. अहिरवार, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी.पी. अहिरवार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. अहिरवार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्र. ई-5-562-आयएस-लीव-एक-5.—श्री जे.एन. कांसोटिया, आयएस., कमिश्नर, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को इस विभाग

के समसंख्यक आदेश 23 जनवरी 2010 द्वारा दिनांक 5 से 11 फरवरी 2010 तक सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2010

क्र. ई-5-576-आयएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. राजेश राजौरा, आयएस., सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को दिनांक 1 से 11 फरवरी, 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 30, 31 जनवरी एवं 12, 13, 14 फरवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश राजौरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेश राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश राजौरा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. एस. सावनेर, अवर सचिव.

## श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2009

क्र. एफ. 9-1-2006-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, मेसर्स इप्का लेबोरेट्रीज लिमि., सेजवाता, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर, 2009 से 31 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदक पूर्व से विद्यमान चिकित्सकीय सुविधाओं का स्तर पूर्ववत् रखेगा तथा यथासंभव उसे उन्नत करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. पी. सिंह, उपसचिव.

## गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2010

क्र. 447-42-2010-दोए(3)-शुद्धि पत्र.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-25-2009-दोए(3), दिनांक 24 जून, 2009 में जबलपुर संभाग से उच्चस्तर से उत्तीर्ण सरल क्रमांक 17 पर अंकित नाम सुश्री रंजना वर्मा, सहायक संचालक द्वारा मार्च 2009 को सम्पन्न प्रश्नपत्र लेखा द्वितीय जो कि कृषि विभाग के लिये था, को एतद्द्वारा संशोधित किया गया. अब उनका नाम श्रीमती रचना शर्मा, सहायक संचालक पढ़ा जाये.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. एफ. 3-83-2009-दोए (3).—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 15 सितम्बर 2009 को "प्रश्न-पत्र" प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी एवं सी विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
<b>उच्चस्तर भोपाल संभाग</b>		
1	श्री सर्वेश कुमार	नायब तहसीलदार
2	श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल	नायब तहसीलदार
3	श्री उमराव सिंह मरावी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
4	कु. सुरभि सोनी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्रीमती लक्ष्मी गामड़	डिप्टी कलेक्टर
6	श्रीमती माया अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
7	श्री प्रदीप जैन	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
8	श्री इच्छित गढपाले	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
9	श्री विवेक कुमार रघुवंशी	डिप्टी कलेक्टर
10	श्री हृदयेश कुमार श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
11	श्री भरत यादव	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
12	श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर	डिप्टी कलेक्टर
13	कु. वंदना मेहरा	डिप्टी कलेक्टर
14	श्री रजनीश कसेरा	डिप्टी कलेक्टर
15	श्री अभिषेक दुबे	डिप्टी कलेक्टर
16	श्रीमती प्रियंका पालीवाल	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
17	श्रीमती श्वेता पंवार	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
18	श्रीमती एकता जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
19	श्री विशाल चौहान	डिप्टी कलेक्टर
20	श्री संदीप कुमार सोनी	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
21	श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
22	कु. निमिषा जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
23	श्री कृष्ण कुमार रावत	डिप्टी कलेक्टर
24	श्री विकास नरवाल	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
25	श्री दिनेश कुमार सोनारतिया	नायब तहसीलदार

## सागर संभाग

26	श्री विशेष गढपाले	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
----	-------------------	------------------------

## ग्वालियर संभाग

27	कु. छवि भारद्वाज	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
28	श्री नाथूसिंह तोमर	सहा. अधी. भू-अभि.

## रीवा संभाग

29	श्री एम.सीबी. चक्रवर्ती	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
30	श्री जे.पी. आईरीन सितिया	सहायक कलेक्टर

## जबलपुर संभाग

31	श्रीमती रक्षा दुबे (चौबे)	नायब तहसीलदार
32	श्रीमती कविता बाटला	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
33	कु. मधुरानी तेवतिया	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
34	श्री वी. किरण गोपाल	सहायक कलेक्टर
35	श्री प्रकाश सिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
36	श्री आदेश राय	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

## इन्दौर संभाग

37	डॉ. अभय सिंह खरारी	डिप्टी कलेक्टर
38	श्री संकेत एस. भोड़वे	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
39	सुश्री माधवी नागेन्द्र	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
40	कु. नीता राठौर	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
41	श्रीमती भगवती काग	नायब तहसीलदार
42	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक

## निम्नस्तर

## भोपाल संभाग

1	कु. निधि वर्मा	नायब तहसीलदार
2	कु. सुनीता खण्डायत	डिप्टी कलेक्टर
3	श्री प्रवीण फुलपगारे	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4	श्रीमती रिकी बामनिया	नायब तहसीलदार	<b>इन्दौर संभाग</b>		
5	कु. सरिता लाल	नायब तहसीलदार	38	श्री गजानंद चौहान	राजस्व निरीक्षक
6	श्री कैलाश नारायण ओझा	नायब तहसीलदार	39	श्री रामदास मण्डलोई	राजस्व निरीक्षक
7	श्री अशोक कुमार मिश्र	नायब तहसीलदार	40	श्री हीरालाल इस्क्या	राजस्व निरीक्षक
8	श्री जितेन्द्र कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	41	श्री कुलदीप खेड़े	राजस्व निरीक्षक
9	श्री रामेश्वर प्रसाद त्रिपाठी	नायब तहसीलदार	42	श्री ओकार मनाग्रे	राजस्व निरीक्षक
10	श्री विनय कुमार रिछारिया	नायब तहसीलदार	43	श्री जगन्नाथ वास्कले	राजस्व निरीक्षक
11	श्री राज कुमार खत्री	डिप्टी कलेक्टर	44	श्री खुमान सिंह चौहान	राजस्व निरीक्षक
12	कु. विमलेश सिंह	डिप्टी कलेक्टर	45	श्री राजाराम कन्नोज	राजस्व निरीक्षक
13	श्री जगदीश कुमार वर्मा	राजस्व निरीक्षक	46	श्री गोविन्द सिंह रावत	राजस्व निरीक्षक
14	श्री मिलिन्द नागदेवे	डिप्टी कलेक्टर	47	श्री शंकर सिंह कछवाये	सहा. अधी. भू-अभि.
15	श्री मेहताब सिंह	डिप्टी कलेक्टर	48	श्री भागीरथ वाखला	नायब तहसीलदार
16	श्री सुनील बांगर	नायब तहसीलदार	49	श्री रमेश सिसोदिया	नायब तहसीलदार
17	श्री ओमप्रकाश भट्ट	सहा. अधी. भू-अभि.	50	श्री मुकेश सोनी	राजस्व निरीक्षक
18	कु. नेहा भारतीय	डिप्टी कलेक्टर	51	श्री सुरेशचन्द्र जमरे	राजस्व निरीक्षक
19	श्री रिकेश कुमार वैश्य	डिप्टी कलेक्टर	52	श्री श्रीराम कास्टे	राजस्व निरीक्षक
20	श्री अजय कुमार हिंगे	नायब तहसीलदार	53	श्री काशीराम वास्कले	राजस्व निरीक्षक

**सागर संभाग**

21	श्री राजेन्द्र मिश्र	नायब तहसीलदार
22	श्री पुरुषोत्तम लाल मरावी	सहा. अधी. भू-अभि.
23	श्री दिनेश असाठी	राजस्व निरीक्षक

**ग्वालियर संभाग**

24	श्री सतेन्द्र सिंह तोमर	राजस्व निरीक्षक
25	श्री महेश कुमार माहौर	राजस्व निरीक्षक
26	श्री बृज किशोर शर्मा	राजस्व निरीक्षक

**रीवा संभाग**

27	डॉ. के. वासुकी	सहायक कलेक्टर
28	श्री रामाश्रय सिंह	सहा. अधी. भू-अभि.
29	श्री बालमीक प्रसाद साकेत	राजस्व निरीक्षक
30	श्री लालाराम सूर्यवंशी	राजस्व निरीक्षक
31	श्री भूनेश्वर प्रसाद विराट	राजस्व निरीक्षक
32	श्री राकेश कुमार शुक्ला	राजस्व निरीक्षक
33	श्री कन्हैया दास पनिका	राजस्व निरीक्षक

**जबलपुर संभाग**

34	श्री रमेश कुमार कुमरे	अधीक्षक, भू-अभि.
35	श्री अशोक कुमार दुबे	सहा. अधी. भू-अभि.
36	श्रीमती मनोरमा पाठक	सहा. अधी. भू-अभि.
37	श्री कृष्ण कुमार तिवारी	सहायक कलेक्टर

**उज्जैन संभाग**

54	श्री भीमसिंह खराड़ी	राजस्व निरीक्षक
55	श्री मगनसिंह मण्डलोई	सहा. अधी. भू-अभि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधु खरे, उपसचिव.

**गृह विभाग**

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2010

क्र. एफ. 1(ए) 93-02-ब-2-दो.—(1) राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 1-27-2010-ब-2-दो, दिनांक 10 फरवरी 2010 द्वारा श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पु.मु., भोपाल को दिनांक 12 से 21 फरवरी 2010 तक की अवधि के लिये निज विदेश यात्रा की अनुमति दी गई है.

(2) अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे., को दिनांक 15 से 19 फरवरी 2010 तक, पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे. को अवकाश वेतन उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी यदि अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजन कटोच, प्रमुख सचिव.

अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

### खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2010

भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 1185-1336-07-बारह-1.—मेसर्स जियो मैसूर सर्विसेस (इंडिया) प्रा. लि. द्वारा जिला जबलपुर एवं कटनी में सोना, पीजीई, निकल, हीरा, कापर, लेड, जिंक, आयरन, सिल्वर, क्रोमियम एवं टंगस्टन खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा-पत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1382 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 691 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1)(i)(क) अनुसार परित्याग किया गया है, इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम 1960 के नियम 59(1)(क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा खुला घोषित करती है. क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. 1185-1336-07-बारह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक, दिनांक 2 मार्च 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. तोमर, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd March 2010

No. 1185-1336-07-XII-1.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral Concession rule 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 691 Km<sup>2</sup> out of 1382 Km<sup>2</sup> in Jabalpur & Katni districts which was previously held by M/s Geomysore Services (India) Private Limited, for the reconnaissance operations of Gold, PGE, Nickel, Diamond, Copper, Lead, Zinc, Iron, Silver, Chromium & Tungsten minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules, Details of the area are as below :—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देशांश (3)
A	23° 21' 35.01''	79° 52' 01.01''
B	23° 23' 38.99''	79° 55' 53.23''
C	23° 18' 38.14''	79° 59' 18.84''
D	23° 27' 29.92''	80° 15' 42.86''
E	23° 25' 54.61''	80° 16' 52.49''
F	23° 34' 15.85''	80° 31' 38.72''
G	23° 34' 50.88''	80° 31' 13.19''
H	23° 35' 45.65''	80° 33' 04.67''
I	23° 34' 07.44''	80° 34' 10.37''
J	23° 31' 51.96''	80° 33' 20.69''
K	23° 25' 07.45''	80° 20' 20.28''
L	23° 22' 49.57''	80° 21' 22.34''
M	23° 12' 10.95''	79° 57' 19.58''
A	23° 21' 35.01''	79° 52' 01.01''

I से J जिला सीमा

इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात् 90 दिवस तक खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा. उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, "खनिज भवन", 29-ए,

Pts (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
A	23° 21' 35.01"	79° 52' 01.01"
B	23° 23' 38.99"	79° 55' 53.23"
C	23° 18' 38.14"	79° 59' 18.84"
D	23° 27' 29.92"	80° 15' 42.86"
E	23° 25' 54.61"	80° 16' 52.49"
F	23° 34' 15.85"	80° 31' 38.72"
G	23° 34' 50.88"	80° 31' 13.19"
H	23° 35' 45.65"	80° 33' 04.67"
I	23° 34' 07.44"	80° 34' 10.37"
J	23° 31' 51.96"	80° 33' 20.69"
K	23° 25' 07.45"	80° 20' 20.28"
L	23° 22' 49.57"	80° 21' 22.34"
M	23° 12' 10.95"	79° 57' 19.58"
A	23° 21' 35.01"	79° 52' 01.01"

I to J District Boundary

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette", till 90 days. The plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhavan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,  
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

### आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. एफ 23-29-2003-04-पच्चीस.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष पद पर श्री कुंवर विजय शाह, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदेन अध्यक्ष नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजुक्ता मुद्गल, अपरसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. एफ 23-11-2004-पच्चीस-2.—मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 53(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री कुंवर विजय शाह, माननीय मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करता है।

(2) श्री कुंवर विजय शाह, मंत्रीजी, आदिम जाति कल्याण विभाग को मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-66 में प्रदत्त शक्ति के अनुसार आगामी आदेश तक निगम के संचालक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वाय. एस. बेले, उपसचिव.

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2010

फा. क्र. 1(सी)-4-2010-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अनुसार श्री अक्षय कुमार पाटीदार, अधिवक्ता, रतलाम को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है।

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

पैनल अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक को, कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा।

नियुक्त अधिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अधिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2010

फा. क्र. 1(सी)-16-2006-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो)-2010.—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 सितम्बर, 2006 द्वारा नियुक्त श्री स्वरूप नारायण भान, विशेष लोक अभियोजक, शिवपुरी के कार्यकाल में दिनांक 13 सितम्बर, 2009 से 12 सितम्बर, 2012 तक 3 वर्ष की अभिवृद्धि करता है।

यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

नियुक्त अधिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे।



इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2010

फा. क्र. 1(बी)-20-04-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2004, 2 दिसम्बर 2004 एवं 23 जुलाई 2004 तथा 12 जनवरी, 2005 निम्न शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी के कार्यकाल में निम्नांकित तालिका अनुसार अभिवृद्धि करता है।

यह वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

- (1) श्री मदन बिहारी श्रीवास्तव, शास. अभिभाषक/लोक अभियोजक, शिवपुरी, दिनांक 22 नवम्बर, 2008 से तीन वर्ष दिनांक 21 नवम्बर 2011 तक।

- (2) श्री शिवनारायण वर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी, दिनांक 3 दिसम्बर 2008 से तीन वर्ष दिनांक 2 दिसम्बर 2011 तक।

- (3) श्री योगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी, दिनांक 13 जनवरी 2009 से तीन वर्ष दिनांक 12 जनवरी 2012 तक।

- (4) श्री वीरेन्द्र वर्मा, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, शिवपुरी दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष दिनांक 23 जुलाई 2011 तक।

- (5) श्री धनीराम यादव, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक तहसील करेरा, जिला शिवपुरी, दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष दिनांक 23 जुलाई 2011 तक।

- (6) श्री सीताराम चौधरी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील पिछौर, जिला शिवपुरी, दिनांक 24 जुलाई 2008 से तीन वर्ष, दिनांक 23 जुलाई 2011 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव।

## आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2010

क्र. एफ-3-68-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-68-2009-बत्तीस, दिनांक 5 अक्टूबर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

### उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम सेवनिया गौड़	32	3.53 एकड़ में से 3.00 एकड़.	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के अन्तर्गत (शैक्षणिक).
		कुल योग . .	<u>3.00 एकड़</u>		

- (2) उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना-2005 का एकीकृत भाग होगा।

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. एफ-3-53-2008-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-53-2009-बत्तीस,

दिनांक 9 मई, 2008, 10 नवम्बर 2009, 10 दिसम्बर 2009 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित रीवा विकास योजना, 2001 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम रतहरा	1. 331 संपूर्ण भाग	140 वर्गमीटर	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		2. 332 का अंश भाग	456		
		3. 330 का अंश भाग	2000		
		4. 329 संपूर्ण भाग	210		
		5. 328 का अंश भाग	530		
		6. 312 का अंश भाग	2130		
		7. 323 का अंश भाग	200		
		8. 313 का अंश भाग	192		
		9. 314 का अंश भाग	3080		
		10. 315 का अंश भाग	2053		
		11. 316 का अंश भाग	3750		
		12. 317 का अंश भाग	1270		
		13. 322 संपूर्ण भाग	138		
		14. 321 का अंश भाग	670		
		15. 584 का अंश भाग	887		
		16. 583 का अंश भाग	125		
		17. 585 का अंश भाग	1725		
		18. 599 का अंश भाग	1528		
		19. 598 का अंश भाग	406		
		20. 597 का अंश भाग	590		
		21. 309 का अंश भाग	170		
2	ग्राम रतहरी	1. 226 का अंश भाग	1350	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		2. 227 संपूर्ण भाग	32		
		3. 228 संपूर्ण भाग	134		
		4. 229 का अंश भाग	401		
		5. 235 का अंश भाग	1950		
		6. 236 का अंश भाग	1570		
		7. 237 का अंश भाग	1860		
		8. 238 का अंश भाग	2780		
		9. 239 का अंश भाग	860		
		10. 240 का अंश भाग	825		
		11. 241 का अंश भाग	595		
		12. 242 का अंश भाग	405		
		13. 243 संपूर्ण भाग	85		
		14. 244 का अंश भाग	210		
		15. 245 संपूर्ण भाग	121		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ग्राम रतहरी	16. 187 का अंश भाग	2480	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		17. 280 संपूर्ण भाग	122		
		18. 281 संपूर्ण भाग	52		
		19. 282 संपूर्ण भाग	32		
		20. 283 का अंश भाग	110		
		21. 286 का अंश भाग	64		
		22. 285 का अंश भाग	94		
		23. 345 का अंश भाग	152		
		24. 346 का अंश भाग	180		
		25. 348 का अंश भाग	74		
		26. 349 संपूर्ण भाग	28		
		27. 350 संपूर्ण भाग	40		
		28. 251 संपूर्ण भाग	198		
		29. 352 का अंश भाग	2595		
		30. 353 संपूर्ण भाग	56		
		31. 354 का अंश भाग	1495		
		32. 355 का अंश भाग	3660		
		33. 356 का अंश भाग	1560		
		34. 357 का अंश भाग	1980		
		35. 384 का अंश भाग	250		
		36. 385 का अंश भाग	88		
		37. 368 का अंश भाग	220		
		38. 383 संपूर्ण भाग	328		
		39. 382 संपूर्ण भाग	328		
		40. 378 का अंश भाग	360		
		41. 279 का अंश भाग	308		
		42. 277 का अंश भाग	90		
		43. 272 का अंश भाग	1008		
		44. 380 का अंश भाग	540		
		45. 381 का अंश भाग	1180		
		46. 392 का अंश भाग	488		
3	ग्राम गड़रिया	1. 99 का अंश भाग	1286	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		2. 134 का अंश भाग	4368		
		3. 133 का अंश भाग	1824		
		4. 132 का अंश भाग	3952		
		5. 101 का अंश भाग	4864		
		6. 102 का अंश भाग	660		
		7. 103 का अंश भाग	12000		
		8. 129 का अंश भाग	628		
		9. 120 का अंश भाग	1386		
		10. 121 का अंश भाग	288		
		11. 122 का अंश भाग	2232		
		12. 123 का अंश भाग	1072		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ग्राम गड़रिया	13. 124 का अंश भाग	168	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		14. 117 का अंश भाग	2904		
		15. 111 का अंश भाग	360		
		16. 116 का अंश भाग	7200		
		17. 536 का अंश भाग	480		
		18. 537 का अंश भाग	1086		
		19. 538 का अंश भाग	1552		
		20. 567 का अंश भाग	1392		
		21. 568 का अंश भाग	6912		
		22. 569 का अंश भाग	1024		
		23. 566 का अंश भाग	384		
		24. 563 का अंश भाग	3168		
		25. 561 का अंश भाग	1024		
		26. 565 का अंश भाग	584		
		27. 550 का अंश भाग	48		
		28. 562 का अंश भाग	288		
		29. 549 संपूर्ण भाग	149		
		30. 551 का अंश भाग	72		
		31. 552 का अंश भाग	640		
		32. 553 का अंश भाग	142		
		33. 554 का अंश भाग	1126		
		34. 555 का अंश भाग	80		
		35. 776 का अंश भाग	320		
		36. 777 का अंश भाग	144		
		38. 799 का अंश भाग	1000		
		39. 800 का अंश भाग	480		
		40. 801 का अंश भाग	480		
		41. 825 का अंश भाग	2184		
		42. 802 का अंश भाग	480		
		43. 803 का अंश भाग	4608		
		44. 804 का अंश भाग	726		
		45. 823 का अंश भाग	7680		
		46. 805 का अंश भाग	2288		
		47. 809 का अंश भाग	192		
		48. 807 का अंश भाग	807		
		49. 855 का अंश भाग	2080		
		50. 939 का अंश भाग	1312		
		51. 825, 855, 823, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 938, 937, 935, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 994, 1005, 1003, 1002, 1001, 1000, 999, 1004, 816, 930, 939, 969 का अंश भाग	69840		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	जोरी	1. 635 का अंश भाग	401	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		2. 634 का अंश भाग	4610		
		3. 636 का अंश भाग	1168		
		4. 586 का अंश भाग	400		
		5. 562 संपूर्ण भाग	61		
		6. 563 का अंश भाग	1724		
		7. 564 का अंश भाग	350		
		8. 531 का अंश भाग	1300		
		9. 16 का अंश भाग	1080		
		10. 559 का अंश भाग	36		
		11. 560 का अंश भाग	288		
		12. 530 का अंश भाग	2106		
		13. 486 का अंश भाग	576		
		14. 539 का अंश भाग	480		
		15. 527 का अंश भाग	5300		
		16. 525 का अंश भाग	1550		
		17. 526 का अंश भाग	3150		
		18. 491 का अंश भाग	192		
		19. 492 का अंश भाग	2776		
		20. 494 का अंश भाग	160		
		21. 493 का अंश भाग	576		
		22. 503 का अंश भाग	5630		
		23. 504 का अंश भाग	2500		
		24. 505 का अंश भाग	240		
		25. 325 का अंश भाग	1050		
		26. 347 का अंश भाग	1280		
		27. 323 का अंश भाग	4854		
		28. 324 का अंश भाग	3673		
		29. 315 का अंश भाग	1332		
		30. 316 का अंश भाग	128		
		31. 314 का अंश भाग	20		
		32. 306 का अंश भाग	40		
		33. 309 का अंश भाग	4846		
		34. 310 संपूर्ण भाग	145		
		35. 311 का अंश भाग	160		
		36. 105 का अंश भाग	3743		
		37. 106 का अंश भाग	1444		
		38. 107 का अंश भाग	120		
		39. 111 का अंश भाग	2912		
		40. 490 का अंश भाग	396		
		41. 496 का अंश भाग	368		
		42. 521 का अंश भाग	120		
		43. 522 का अंश भाग	144		
		44. 110 का अंश भाग	2070		
		45. 109 का अंश भाग	290		
		46. 113 का अंश भाग	336		
		47. 116 का अंश भाग	1264		
		48. 114/1 का अंश भाग	1360		
		49. 117 का अंश भाग	2672		
		50. 118 का अंश भाग	680		
		51. 119/2 का अंश भाग	1188		
		52. 47 का अंश भाग	6672		
		53. 126 का अंश भाग	3388		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	जोरी	54. 230 का अंश भाग	800	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		55. 231 का अंश भाग	1300		
		56. 232 का अंश भाग	36		
		57. 127 का अंश भाग	3770		
		58. 128 का अंश भाग	192		
		59. 129 संपूर्ण भाग	259		
		60. 130 का अंश भाग	3730		
		61. 138 का अंश भाग	2916		
		62. 211 का अंश भाग	928		
		63. 212 का अंश भाग	3820		
		64. 298 का अंश भाग	512		
		65. 299 का अंश भाग	1252		
		66. 556, 554 का अंश भाग	10536		
5	ग्राम डकवार	1. 122 का अंश भाग	2640	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		2. 3/2 का अंश भाग	1368		
		3. 45 का अंश भाग	2895		
		4. 46 का अंश भाग	768		
		5. 109, 110, 111, 66, 46, 45, 30, 29, 28, 25, 24/1, 3/1, 3/2, 5, 4, 6, 112, 27, 28/1, 28/2.	26120		
6	ग्राम सिलपरा	1. 303/1216 का अंश भाग	850		
		2. 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1030, 1031, 1043, 1044, 292, 303/1215, 303/1216, 303/1217, 1028, 292/1219 एवं 1029 का अंश भाग.	22080		
7	ग्राम सिलपरी	1. 37 का अंश भाग	5820	कृषि	बायपास/मार्ग 60 मीटर
		2. 48 का अंश भाग	5540		
		3. 38 का अंश भाग	240		
		4. 459 का अंश भाग	2808		
		5. 460 का अंश भाग	312		
		6. 440 का अंश भाग	448		
		7. 435 का अंश भाग	4464		
		8. 436 का अंश भाग	1536		
		9. 437 का अंश भाग	576		
		10. 429 का अंश भाग	7650		
		11. 426 का अंश भाग	60		
		12. 427 का अंश भाग	1768		
		13. 428 का अंश भाग	4812		
		14. 469 का अंश भाग	480		
		15. 467 का अंश भाग	96		
		16. 523 का अंश भाग	2400		
		17. 39, 44, 42, 43, 40, 49, 467, 468, 469, 466, 465, 462, 463, 461 का अंश भाग	15840		

2. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना-2001 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2010

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. एफ. 3-1-2010-दो-ए(3).—मध्यप्रदेश के सभी अधिकारी जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 5 अप्रैल 2010 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर, होशंगाबाद एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों एवं लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड) में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी :—

प्र. पत्र (1)	प्रश्नपत्र का विषय (2)	समय (3)
------------------	---------------------------	------------

सोमवार, दिनांक 5 अप्रैल 2010

1.	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) पुलिस, सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित).	—''—
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—''—
4.	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिककर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	—''—
5.	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
59.	विद्युत् संबंधी विधियाँ-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
6.	दूसरा प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना पुलिस, सामान्य प्रशासन, भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्नपत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
60.	भू-योजना तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—''—

मंगलवार, दिनांक 6 अप्रैल 2010

9.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए, आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-बी.	—''—

(1)	(2)	(3)
11.	पहला प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये- भाग-सी.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
13.	प्रश्नपत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये	—''—
61.	विद्युत् संस्थापनाएं-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	—''—
15.	दूसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
17.	तीसरा प्रश्नपत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—''—
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्नपत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	—''—
62.	लेखा व स्थापना-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—''—

**बुधवार, दिनांक 7 अप्रैल 2010**

20.	तीसरा प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया-राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना सामान्य प्रशासन, राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
22.	प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—''—
23.	पहला प्रश्नपत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—''—
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा".	—''—
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	—''—



(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
27.	पुलिस अधिकारियों की “पुलिस शाखा” प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों के).	—”—
28.	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—”—
29.	तीसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—”—
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
31.	चौथा प्रश्नपत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा, तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—”—
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
64.	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को-आर्डिनेशन व हवाईस एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि./सु.) के लिये.	—”—

**गुरुवार, दिनांक 8 अप्रैल 2010**

33.	प्रश्न प्रश्न-पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
35.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
36.	प्रश्नपत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग अधिकारियों के लिये.	—”—
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
38.	लेखा (पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—”—

(1)	(2)	(3)
42.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
44.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
<b>शुक्रवार, दिनांक 9 अप्रैल 2010</b>		
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये लेखा प्रश्नपत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्नपत्र-लेखा के भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	—''—
47.	प्रश्नपत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्नपत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
49.	प्रश्नपत्र-द्वितीय मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित).	—''—
50.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	—''—
65.	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52.	प्रश्नपत्र लेखा भाग-2 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—''—
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्नपत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	—''—
55.	द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—''—

- | (1) | (2)   | (3)                                |
|-----|---|------------------------------------|
| 56. | द्वितीय प्रश्नपत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.            | दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक. |
| 57. | प्रश्नपत्र-तृतीय अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास-जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित) | —''—                               |

**सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल 2010**

- |     |   |                                  |
|-----|---|----------------------------------|
| 58. | हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. | दोपहर 10.00 बजे से 12.00 बजे तक. |
|-----|---|----------------------------------|

- नोट:—**(1) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्यों, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधन नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-54-98-दो-ए(3), दिनांक 19 मार्च 1999 एवं एफ. 3-102-90-दो-ए(3), दिनांक 8 मई 1991 के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नपत्र भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.
- (2) उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी, उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.
- (3) सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित हैं, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्रमांक 1-15-77-1-अ.स.- जनजाति सेवा दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों/कलेक्टरों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को गृह (सामान्य) विभाग विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष/कलेक्टर परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 मई, 2010 तक भेजेगें. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.
- (5) परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोष्ठक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दशरथ कुमार, अवर सचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्र. 305-भू-अर्जन-2009-रा.प्र.क्र. अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी,	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	छायनपूर्व	1.20	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बॉध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही परियोजना की छायनपूर्व माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 19 फरवरी 2010

क्र. 345-भू-अर्जन-2009-रा.प्र.क्र. अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	बल्यापाडा (गुणावद)	1.75	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बॉध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही परियोजना की छायनपूर्व माईनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जगदीश शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. 72-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बहुरीबांध-425.	0.416	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चर्चाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 74-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैनी-379	0.044	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चर्चाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 76-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	पुरैनी-378	0.016	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 78-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बरवाह-422	0.829	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 80-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	जेरूका-34	0.097	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 82-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	जुड़मनिया-48	0.022	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 84-भू-अर्जन-कार्य-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	अमवा-08	0.056	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरण नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 5 मार्च 2010

क्र. 132-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	माँद नं. 1	1.60	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक एवं उसकी माँद माईनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.



क्र. 134-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	मेहमूंदपुर	0.945	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पिपरवार वितरक नहर एवं मेहमूंदपुर माईनर नम्बर 1 एवं 2 में छूटे खसरो की आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 136-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पिपरवार	1.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक, माईनर 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 138-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	नौआ	0.090	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन. *

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 140-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सहेवा-535	2.600	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की पिपरवार वितरक एवं उसकी सहेवा माईनर 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 142-भू-अर्जन-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	अम्बार-13	1.214	कार्यपालन यंत्री, अर्जन एवं पुनर्वासि संभाग क्र. 2, देवलौद, शहडोल (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत डूब में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दासौर, दिनांक 24 फरवरी 2010

प्र. क्र. 2अ-82-09-10-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर.में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दासौर	सुवासरा	रूनीजा	2.46	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. विभाग, मन्दासौर.	रूनीजा-अंगारी मार्ग हेतु

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, सीतामऊ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जी. के. सारस्वत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 464-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	सेमरहा पहाड़	7.027	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा.	गोवर्दहा बांध योजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 465-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	मटिखानी	14.244	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा.	गोवर्दहा बांध योजना

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोवर्दहा बांध निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 466-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	पोखड़ौर	8.501	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा.	गोवर्द्धा बांध योजना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोवर्द्धा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 467-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	सेमरहा मुतालिके सिगटी	21.581	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा.	गोवर्द्धा बांध योजना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोवर्द्धा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 468-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	तुर्का	15.239	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा.	गोवर्द्धा बांध योजना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—गोवर्द्धा बांध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 469-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	ढीघा वदौर	1.610 कृषक भूमि .405 म.प्र. शासन योग : 2.015	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा (म.प्र.).	कदुआवन बांध योजना हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 10 मार्च 2010

क्र. 473-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	हरई गुजरान	14.127 कृषक भूमि 2.107 म.प्र. शासन योग : 16.234	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा (म.प्र.).	कदुआवन बांध योजना हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 474-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	हरहा कोठार	23.966 कृषक भूमि 24.342 म.प्र. शासन योग : 48.308	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा (म.प्र.).	कदुआवन बांध योजना हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 475-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

#### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मऊगंज	दुधमनिया	21.050 कृषक भूमि 48.949 म.प्र. शासन योग : 69.999	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, रीवा (म.प्र.).	कदुआवन बांध योजना हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कदुआवन बांध योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 1391-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	बांसखेड़ा एल.बी.सी.	3.034	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	गोकुलपुरा तालाब की एल.बी.सी. एवं आर.बी.सी. नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	देहरीकराण एल.बी.सी.	1.234		
राजगढ़	राजगढ़	गौरियाखेड़ा आर.बी.सी.	3.771		
			योग : 8.039		
राजगढ़	राजगढ़	बांसखेड़ा	2.214	गोकुलपुरा तालाब शीर्ष कार्य निर्माण हेतु छूटे हुए सर्वे नं. का अर्जन.	
राजगढ़	राजगढ़	गिन्दोरी	0.300		
राजगढ़	राजगढ़	धुंवाखेड़ी	0.463		
			योग : 2.977		
			कुल योग : 11.016		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 6 मार्च 2010

क्र. 1029-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 01-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	कदवालिया	7.91	डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :-भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1030-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 02-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	आगलगोटा	1.44	डिप्टी चीफ इंजीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :-भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1033-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 03-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	मोरधी	9.35	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1036-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	अम्बारी	3.65	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1039-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 05-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	रिछवी	15.61	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1044-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 06-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	भयडिया की चौकी	6.80	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1045-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 07-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	चिचलगुड़ा	16.72	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 1048-भू-अर्जन-2010-प्र.क्र. 08-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संभावित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की उपधारा (1) एवं 17(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम /शहर	सर्वे नम्बर भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	थाना सेमली	1.31	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण)	छोटा उदेयपुर-धार हेतु रेल्वे लाईन वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक देशवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 11 मार्च 2010

क्र. 660-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "ए" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	सोलसिन्दा	0.520 योग : 0.520	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.	इन्दौर-उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील, सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से किया जा सकता है.

क्र. 662-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "ए" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	जैतपुरा	0.894 योग : 0.894	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग, उज्जैन.	इन्दौर-उज्जैन फोरलेन मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर एवं तहसील, सांवेर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 24 फरवरी 2010

क्र. 4-अ-82-05-06.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—नटेरन  
(ग) नगर/ग्राम—खुशालपुर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—61.990 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर  
(1)

रकबा  
(हेक्टर में)  
(2)

30	0.270
31	1.000
32	1.881
33	1.996
34/1	0.810
35/1	1.804
34/2	0.810
35/2	1.803
28/3	0.259
36/1क/1	4.309
20/3	0.220
36/1क/2	1.270
36/1ख	1.045
36/3ख	1.045
36/2/1/क	0.523
36/3क/2ख	4.418
10	0.190
28/2	0.259
52/1	0.564

(1)	(2)
20/2	0.140
36/2/ख	1.463
36/2 ग	1.525
36/3क/1	1.774
28/1	0.259
36/3क/2	2.550
20/1	0.140
28/4	2.005
36/2/1ग	1.672
37/1	1.331
48/1	0.209
24	0.093
47	0.199
51	0.094
18/1	0.230
17/1क	1.641
52/2	1.108
50	0.773
17/1ख	1.463
17/1ग	1.076
39	0.565
17/2	0.836
16/1	1.254
42	4.181
16/2	1.338
15	1.495
12	1.844
40	2.091
46/1	1.046
46/2	3.135
32/2/1ख	0.604
18/2	0.230
37/2	1.331
48/2	0.209
18/3	0.070
37/3	1.331
48/3	0.209
योग	61.990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 4-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

(1)	(2)
53/21	0.130
53/22	0.394
53/23	1.394
53/24	1.133
53/25	1.141
53/26	0.809
53/27	0.971
51	0.073
48	0.065
50	0.240

योग . . . 24.567

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—नटेरन  
(ग) ग्राम—दूदनखेड़ी  
(घ) लगभग क्षेत्र—24.567 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
53/2	0.110
53/3	0.150
53/4	1.000
53/5	0.745
53/6	1.255
53/7	1.425
53/8	1.165
53/9	1.164
53/10	0.890
53/11क	0.840
53/11ख/1	0.836
53/11ख.मि.	0.004
53/12	1.125
53/13	1.595
53/14	0.243
53/15	1.125
53/16क	0.011
53/16ख	0.575
53/16ग	1.045
53/17	1.052
53/18	1.125
53/19	0.397
53/20	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—नटेरन  
(ग) ग्राम—रगरू  
(घ) लगभग क्षेत्र—11.317 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
33/2	0.320
35/1	0.165
35/2	0.115
86	0.051
88/1	0.125
88/2	1.115

(1)	(2)	(ग) ग्राम—बरौदा	(घ) लगभग क्षेत्र—29.949 हेक्टर.
88/3	1.067		
88/4	0.375	खसरा नम्बर	रकबा
160/3	0.527		(हेक्टर में)
160/4	0.124	(1)	(2)
160/12	0.628	173/2	0.240
160/5	0.037	174/2	0.595
160/8	0.230	175/1	2.117
160/23	0.848	175/2	2.116
160/7	0.263	176/1	1.031
160/2	0.817	176/2	0.310
160/9	0.261	176/3	0.154
160/10	0.300	177	0.330
160/11	0.377	178/1	0.450
160/13	0.769	178/2	0.375
160/14	0.486	178/2/2क	0.123
160/15	0.950	194/1/1	0.068
160/16	0.280	178/2/3	1.100
31	0.717	178/2/4	0.955
105	0.325	182/1	0.195
102	0.045	182/3	0.070
योग	11.317	182/2	0.010
		182/4	0.130
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.		189/1	0.525
		189/2	0.670
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.		202/3	0.065
		190/3	0.250
		190/6	0.350
		190/7 क	0.530
		190/9 क	0.282
		190/7 ग	0.030
		190/9 ख	0.074
क्र. 6-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		204	1.077
		194/2/1	0.235
		194/3	0.707
		199	9.968
		200/1	0.600
		202/1	0.040
		202/2	0.110
		203	2.638
अनुसूची		योग	29.949
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—विदिशा		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.	
(ख) तहसील—नटेरन			



(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—नटेरन  
(ग) ग्राम—दुनातर  
(घ) लगभग क्षेत्र—152.722 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

4	0.705
6	0.330
24	0.261
25	0.105
22	0.052
28	6.405
29	0.167
47	0.590
17	0.167
18	0.209
26	0.031
19	0.314
20	0.418
21	0.325
23	0.052
50	0.440
51	0.909
27	0.073
35/1	1.463
36/1	2.514
52/4	0.168

(1)	(2)
68/1	0.151
54/3/3	0.209
57	3.354
58/1/2	3.539
86/2	1.693
58/2क	7.000
58/2ख	1.000
58/2ग	7.000
58/1/3	3.539
37/2/1	0.712
35/2	1.057
37/2/2	1.649
38/2क	2.159
54/3/1	0.764
55/1	0.209
56/1	0.680
35/3	1.057
37/2/3	1.445
38/2ख	2.158
55/2	0.209
56/2	0.679
35/4	2.214
54/3/2	0.763
54/2	1.045
52/2	1.232
52/1	0.912
52/3	1.595
86/3	1.694
60/1	5.268
61/1	0.883
85/2/3	0.836
88/1	2.195
61/5	0.209
62/3	0.034
85/2/2	3.092
89	2.759
92/1	1.149
96/1	2.091
61/3	0.590
82	0.230
16	1.888

(१)	(2)
61/2	3.300
90	5.017
92/2	1.150
96/2	2.090
54/3/1	0.764
53	2.802
61/4	0.836
74	4.881
83	0.209
84	4.599
85/2/1	0.883
54/1	1.045
58/1/1	2.495
86/1	1.693
35/5	1.045
36/2	3.844
36/3	2.798
37/1क/1	0.657
37/1क/2	2.090
37/1ख	0.418
60/2	5.268
88/2	3.031
67/1	0.314
38/1	2.500
66	0.857
67/2	3.000
67/3	3.000
70	0.668
71	1.890
85/1	0.418
87	0.690
93	2.154
68/2	0.440
योग . . .	<u>152.722</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—नटेरन  
(ग) ग्राम—नहरयाई  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.628 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
121	1.986
122	1.484
123	1.725
124	1.610
128/1	1.254
131/1	0.291
125	1.703
126/1	2.738
128/2	3.135
132	2.989
131/2	0.576
133	0.220
134/1	0.089
134/2	0.089
126/2	2.739
योग . . .	<u>22.628</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना के निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा  
(ख) तहसील—शमशाबाद  
(ग) ग्राम—शमशाबाद  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.226 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक

रकबा  
(हे. में)

(1)

(2)

5/1	0.950
5/2	0.220
6	1.199
7	0.405
8	0.511
67/2	1.210
21	0.405
23	0.052
22/1	0.238
22/2	0.199
24	0.480
65	0.190
66/1	0.405
63/2	0.450
66/2	0.600
67/1	0.124
87/1	0.209
72/2क	0.050
72/2ग	0.460
72/2घ	1.000
72/3	1.672
72/1	2.165
73	1.829
74	5.069
75	0.418
77 मि.	0.243
77 मि.	0.003
77 मि.	0.005
78	0.615
82/2 मि.	0.360
82/3 मि.	0.360

(1)

(2)

161	0.042
167 मि.	0.245
171/2/3	0.407
171/2/1	0.230
171/2/2	0.230
171/2/4	0.407
171/1/2	0.332
171/1/3	0.341
171/1/1	0.341
174	0.815
	0.220
175	0.042
177/4	0.688
176/1	0.240
176/2	0.868
177/5	0.062
177/1	0.075
177/3	0.930
189	0.272
190	0.021
191	0.016
188	0.167
219	0.063
220	0.335
236/2	0.089
239	0.083
241	0.063
242	0.031
243	0.052
245	0.157
249	0.021
248	0.042
230	0.042
232	0.140
221	0.063
232 मि.	0.006
236/1 मि.	0.089
282	0.060
323	0.190
316	0.230
331/2	0.359
332	2.000
167 मि.	0.024

योग

33.226

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर (बाह) मध्यम परियोजना का निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 102-भू-अर्जन-08-प्र.क्र. 9-अ-82-07-08-संशोधन.—इस कार्यालय के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9 अ-82-07-08 में ग्राम कल्याणपुरा, तह. खरगोन, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि रकबा 2.706 हे. के भू-अर्जन के संबंध में जारी धारा 6 की उद्घोषणा का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 29 फरवरी 2008 के पृष्ठ क्रमांक 549 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां		सही संशोधित प्रविष्टियां	
खसरा नं.	रकबा (हे.में)	खसरा नं.	रकबा (हे.में)
22/1/2	0.030	22/1/3	0.030
66/3	0.036	66/2	0.036
89/2	0.102	89/3	0.102

शेष उद्घोषणा यथावत रहेगी.

खरगोन, दिनांक 8 मार्च 2010

क्र. 119-भू-अर्जन-10 प्र.क्र. 48-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 1020/5/कोर्ट/09,

इन्दौर, दिनांक 1 अगस्त 2009 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है.

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—बड़वाह  
(ग) ग्राम—पिपरीखेड़ा, वन परिक्षेत्र—सनावद  
(घ) क्षेत्रफल—4.503 हेक्टर, (दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार अधिभोग मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है).

केवल अतिक्रमित वनभूमि (उस पर निर्मित संरचनाओं को छोड़कर)

खसरा नम्बर/ कक्ष क्रमांक	अतिक्रमित वनभूमि रकबा (हे. में)	अतिक्रमित वनभूमि पर वन अधिकारों के धारक का नाम (3)
(1)	(2)	(3)
298A	0.365	रजान पिता दीत्या, अनिबाई पति रजान.
299	0.249	भावसिंह पिता अलसिंग, राधाबाई पति भावसिंह.
299	1.986	रामा पिता अलसिंग, नूरीबाई पति रामा.
299	1.903	रेमता पिता कनसिंग
कुल रकबा . .	4.503	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन (म.प्र.), भू-अर्जन अधिकारी, ऑकरेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21, सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 118-भू-अर्जन-10 प्र.क्र. 49-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 1021/5/कोर्ट/09, इन्दौर, दिनांक 1 अगस्त 2009 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है।

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन  
(ख) तहसील—बड़वाह  
(ग) ग्राम—अतरसुम्बा, वन परिक्षेत्र—सनावद  
(घ) क्षेत्रफल—14.979 हेक्टर, (दिनांक 13 दिसम्बर 2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार अधिभोग मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है)।

केवल अतिक्रमित वनभूमि (उस पर निर्मित संरचनाओं को छोड़कर)

खसरा नम्बर/ कक्ष क्रमांक	अतिक्रमित वनभूमि रकबा (हे. में)	अतिक्रमित वनभूमि पर वन अधिकारों के धारक का नाम (3)
(1)	(2)	
296	2.265	फुलसिंग पिता रेबान, सायबा पति फुलसिंग.
295	0.971	रणजीत पिता भुवान, नाजुबाई पति रणजीत.
295C	3.297	गंगाराम पिता सुमला
295A, 299	1.867	कैलाश पिता नट्टूजी (लट्टू), मनुबाई पति कैलाश.
295A, 299	2.089	भुवान पिता सायमल, बंशीबाई पति भुवान.
295A,	1.229	सुरेश पिता शिवजी, बानूबाई पति सुरेश.
299	1.813	गोदालाल पिता मंशाराम, अनीबाई पति गोदालाल.
299	1.448	विक्रम पिता सेकड़िया
कुल रकबा	14.979	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन (म.प्र.), भू-अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह, वनमण्डलाधिकारी बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21, सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 299-रा.प्र. क्र. 94-अ-82-2008-09-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी  
(ख) तहसील—सैंधवा  
(ग) ग्राम—वाकी उर्फ गोई  
(घ) क्षेत्रफल—0.128 हेक्टर.

सर्वे नम्बर क्षेत्रफल  
(हेक्टर में)

(1) (2)

ग्राम वाकी उर्फ गोई, तहसील सैंधवा

31/1 0.128  
योग 0.128

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—132 के. व्ही. उपकेन्द्र विस्तार हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सैंधवा के कार्यालय तथा अधीक्षक यंत्री, (सिविल) मध्यप्रदेश पावर, ट्रा. कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. बी. एस. राजपूत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर  
परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. 109-भू-अर्जन-कार्य-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—बरवाह  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.829 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
386	0.402	-
387	0.291	-
389	0.016	-
488	-	0.094
487	-	0.026

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब-माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 111-भू-अर्जन-कार्य-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत,

इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—पुरैनी-378  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.016 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
29/2	0.016	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब-माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 113-भू-अर्जन-कार्य-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—पुरैनी-379  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.044 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
01	0.044	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चर्चाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब-माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 115-भू-अर्जन-कार्य-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर.  
(ग) नगर/ग्राम—बहुरीबांध-425  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.416 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
454	0.016	-
455	0.016	-
596	0.063	-
775	-	0.008
407	0.095	-
399	0.059	-
401	0.016	-
774	0.078	-
773	0.063	-
595	0.002	-

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चर्चाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब-माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 117-भू-अर्जन-कार्य-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—अमवा  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.056 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
800	0.016	-
1246	-	0.038
224	-	0.024

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चर्चाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब-माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 119-भू-अर्जन-कार्य-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—जूडमनिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.022 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
77	-	0.006
81	-	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब-माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 121-भू-अर्जन-कार्य-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—हुजूर  
(ग) नगर/ग्राम—जेरूका  
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.097 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
396	-	0.038
397	-	0.059

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरण नहर के विभिन्न माइनर/सब-माइनर अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 26 फरवरी 2010

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2006-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—मुडवारी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.918 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2623	0.015	निजी भूमि
2624	0.182	निजी भूमि
339	0.182	निजी भूमि
536	0.237	निजी भूमि
1078	0.046	निजी भूमि
1079	0.406	निजी भूमि
746	0.192	निजी भूमि
1597/1	0.010	निजी भूमि
1598/1	0.239	निजी भूमि
1599/1	0.040	निजी भूमि
698	0.020	निजी भूमि
1133	0.069	निजी भूमि
1134	0.002	निजी भूमि
1630	0.015	निजी भूमि
1631	0.040	निजी भूमि
2530	0.117	निजी भूमि
296	0.240	निजी भूमि
297	0.004	निजी भूमि
305	0.022	निजी भूमि
306	0.280	निजी भूमि
1142	0.082	निजी भूमि
1629	0.300	निजी भूमि
1628	0.022	निजी भूमि
2561	0.005	निजी भूमि
2562	0.132	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2560/1	0.017	निजी भूमि	1387	0.032	निजी भूमि
1395	0.061	निजी भूमि	534	0.052	निजी भूमि
275	0.042	निजी भूमि	535	0.069	निजी भूमि
1105	0.013	निजी भूमि	1201	0.140	निजी भूमि
1106/2	0.132	निजी भूमि	1177	0.020	निजी भूमि
1136	0.005	निजी भूमि	1178	0.014	निजी भूमि
1137	0.075	निजी भूमि	1198	0.020	निजी भूमि
1188	0.070	निजी भूमि	1145	0.090	निजी भूमि
1197	0.052	निजी भूमि	2525/1	0.070	निजी भूमि
744	0.008	निजी भूमि	865/1	0.017	निजी भूमि
745	0.037	निजी भूमि	1138	0.070	निजी भूमि
1174	0.030	निजी भूमि	1139	0.002	निजी भूमि
1175	0.024	निजी भूमि	1143	0.034	निजी भूमि
1200	0.036	निजी भूमि	1144	0.014	निजी भूमि
1213	0.120	निजी भूमि	749/2	0.102	निजी भूमि
304/2	0.132	निजी भूमि	749/3	0.052	निजी भूमि
2576	0.015	निजी भूमि	749/4	0.102	निजी भूमि
2577	0.282	निजी भूमि	2522/2	0.025	निजी भूमि
331	0.024	निजी भूमि	2523/2	0.200	निजी भूमि
332	0.067	निजी भूमि	2525/2	0.082	निजी भूमि
538/2	0.017	निजी भूमि	2626	0.028	निजी भूमि
1176	0.002	निजी भूमि	2627/2	0.052	निजी भूमि
1202	0.244	निजी भूमि	2628/2	0.005	निजी भूमि
1205	0.030	निजी भूमि	1383	0.032	निजी भूमि
1212	0.060	निजी भूमि	1384/1	0.078	निजी भूमि
1609	0.022	निजी भूमि	2532	0.150	निजी भूमि
1610	0.250	निजी भूमि	963	0.016	निजी भूमि
683/1	0.070	निजी भूमि	964	0.003	निजी भूमि
680	0.005	निजी भूमि	1013	0.005	निजी भूमि
683/3	0.082	निजी भूमि	1406	0.150	निजी भूमि
683/4	0.110	निजी भूमि	1408	0.062	निजी भूमि
684	0.057	निजी भूमि	1382	0.090	निजी भूमि
274	0.112	निजी भूमि	1403	0.030	निजी भूमि
1412/1क	0.122	निजी भूमि	1405	0.132	निजी भूमि
1412/1ख	0.040	निजी भूमि	1396	0.032	निजी भूमि
1038/1	0.016	निजी भूमि	1199	0.062	निजी भूमि
1039/1	0.032	निजी भूमि	1187	0.016	निजी भूमि
747	0.032	निजी भूमि	1600	0.364	निजी भूमि
748	0.015	निजी भूमि	689	0.140	निजी भूमि
2568/1	0.152	निजी भूमि	690	0.010	निजी भूमि
2568/2	0.022	निजी भूमि	691	0.042	निजी भूमि
2524	0.015	निजी भूमि	863/1	0.080	निजी भूमि
2569	0.122	निजी भूमि	1035	0.038	निजी भूमि
1384/2	0.024	निजी भूमि	1036	0.025	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1037	0.035	निजी भूमि	334	0.180	निजी भूमि
2523/1	0.152	निजी भूमि	335	0.040	निजी भूमि
769	0.005	निजी भूमि	270	0.062	निजी भूमि
770	0.027	निजी भूमि	255	0.180	निजी भूमि
2531	0.015	निजी भूमि	256	0.054	निजी भूमि
622	0.042	निजी भूमि	264	0.065	निजी भूमि
295	0.024	निजी भूमि	1022	0.044	निजी भूमि
882	0.052	निजी भूमि	1023	0.170	निजी भूमि
268	0.112	निजी भूमि	2566	0.015	निजी भूमि
269	0.035	निजी भूमि	1602	0.010	निजी भूमि
1045	0.250	निजी भूमि	265	0.074	निजी भूमि
1046	0.032	निजी भूमि	266	0.055	निजी भूमि
545/2	0.027	निजी भूमि	259	0.062	निजी भूमि
546/2	0.070	निजी भूमि	864/2	0.052	निजी भूमि
546/1	0.055	निजी भूमि	865/2	0.017	निजी भूमि
2615	0.150	निजी भूमि	991	0.035	निजी भूमि
2619	0.037	निजी भूमि	2581/1	0.130	निजी भूमि
1220/1	0.334	निजी भूमि	2581/2	0.050	निजी भूमि
1220/2	0.040	निजी भूमि	1034/1	0.015	निजी भूमि
1103	0.015	निजी भूमि	696	0.032	निजी भूमि
1101	0.004	निजी भूमि	697	0.667	निजी भूमि
1102	0.174	निजी भूमि	763	0.027	निजी भूमि
1043	0.010	निजी भूमि	764/1	0.210	निजी भूमि
1044	0.005	निजी भूमि	764/2	0.164	निजी भूमि
1024	0.022	निजी भूमि	762	0.090	निजी भूमि
1025	0.065	निजी भूमि	877/2	0.017	निजी भूमि
1398	0.040	निजी भूमि	879	0.030	निजी भूमि
529	0.059	निजी भूमि	1221	0.170	निजी भूमि
530	0.190	निजी भूमि	1223	0.040	निजी भूमि
531	0.044	निजी भूमि	276/1	0.032	निजी भूमि
619	0.005	निजी भूमि	337	0.017	निजी भूमि
620	0.180	निजी भूमि	2526	0.055	निजी भूमि
621	0.081	निजी भूमि	674	0.017	निजी भूमि
880	0.040	निजी भूमि	1189	0.082	निजी भूमि
870/1	0.070	निजी भूमि	1611	0.010	निजी भूमि
881	0.015	निजी भूमि	1612	0.005	निजी भूमि
983/1	0.065	निजी भूमि	1627/2	0.010	निजी भूमि
1015	0.015	निजी भूमि	750	0.030	निजी भूमि
1016	0.155	निजी भूमि	751	0.018	निजी भूमि
983/3	0.065	निजी भूमि	624	0.042	निजी भूमि
1017/2	0.005	निजी भूमि	528	0.070	निजी भूमि
983/4	0.065	निजी भूमि	532	0.067	निजी भूमि
983/2	0.065	निजी भूमि	276/2	0.110	निजी भूमि
333	0.005	निजी भूमि			
			कुल रकबा निजी भूमि	14.918	

(1)	(2)	(3)
537	0.015	शासकीय भूमि
2533	0.025	शासकीय भूमि
1385	0.010	शासकीय भूमि
1394	0.040	शासकीय भूमि
1399	0.020	शासकीय भूमि
1400	0.030	शासकीय भूमि
1379	0.020	शासकीय भूमि
1596	0.075	शासकीय भूमि
1227	0.370	शासकीय भूमि
1224/1	0.250	शासकीय भूमि
1195	0.005	शासकीय भूमि
1196	0.020	शासकीय भूमि
कुल रकबा शासकीय भूमि	0.880	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2006-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना  
(ख) तहसील—पवई  
(ग) ग्राम—रामनगर  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.410 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
18	0.16	निजी भूमि
19	0.10	निजी भूमि
22/1	0.03	निजी भूमि
30	0.08	निजी भूमि
28	0.04	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि	0.410	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मुडवारी उद्वहन सिंचाई योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अजीत कुमार**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 मार्च 2010

क्र. 1791-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—केसली  
(ग) ग्राम—दुधवारा, प.ह.नं. 32  
(घ) क्षेत्रफल—1.38 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
38	0.02
45	0.45
44	0.08
126	0.01
127/1	0.09
127/3	0.15
127/5	0.20
127/6	0.20
141	0.18
योग	1.38

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—जुनिया जलाशय योजना की (एल.बी.सी.) नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1792-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर  
(ख) तहसील—केसली  
(ग) ग्राम—जुनिया, प.ह.नं. 32  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.14 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
134/2	0.02
134/3	0.07
173/2	0.10
187	0.09
189	0.08
190	0.18
194	0.11
195	0.21
199	0.13
200	0.05
202/1	0.10
योग	1.14

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—जुनिया जलाशय योजना की (एल.बी.सी.) नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 3 मार्च 2010

क्र. 9-अ-82-08-09-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—देशवालिया  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.570 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408/1/1	0.244
408/2	0.265
408/1/2	0.055
397/7	1.010
382	0.060
357/1, 357/2	0.350
268	0.408
270	0.279
369/1/3	0.020
369/1/2	0.025
369/3/1	0.020
368	0.252
367	0.340
223/1, 223/2	0.190
144/2	0.228
144/3	0.123
144/4	0.090
144/5	0.050
3/3	0.255
4/1	0.164
4/2	0.142
योग	4.570

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की आर.डी. 156.200 मी. से निकलने वाली पी. व्हाय 17 से निकलने वाली चिखल्दा एवं लिंगवा माइनर के निर्माण हेतु”

नोट.—भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वासि अधिकारी, अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10-अ-82-08-09-भू-अर्जन-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार  
(ख) तहसील—कुक्षी  
(ग) ग्राम—लिंगवा  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.215 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
151/1	0.070
151/2	0.158
151/3	0.160
157/1	0.160
157/2	0.160
163/2	0.400
158	0.460
164	0.952
142/1	0.282
142/2	0.053
166	0.100
141/1	0.600
136	0.160
139/1	0.500
योग . .	<u>4.215</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—“ओंकारेश्वर परियोजना की आर.डी. 156.200 मी. से निकलने वाली डी व्हाय 17 से निकलने वाली चिखल्दा एवं लिंगवा माईनर के निर्माण हेतु”.

नोट.—भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वासि अधिकारी, अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व  
विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 4 मार्च 2010

रा.मा.क्र. 10 अ-82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-78-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—नरसिंहपुर  
(ग) ग्राम—डोकरघाट  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.202 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
169	0.202
योग . .	<u>0.202</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—डोकरघाट माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

रा.मा.क्र. 11 अ-82-वर्ष 2009-2010 पत्र क्र.-78-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर  
(ख) तहसील—गाडरवारा  
(ग) ग्राम—टेकापार  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.062 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
418/1	0.062
	मकान एक, पोरवेल एक कुलहोर एक, वाटर टेन्क एक, चिमनी एक

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टेकापार माईनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, भू-अर्जन कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2010

क्र. 123-अ-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर  
(ख) तहसील—इन्दौर  
(ग) नगर/ग्राम—खजराना  
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.425 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
276/9/2 पार्ट	0.022
276/11 पार्ट	0.016
276/12 पार्ट	0.016
276/13 पार्ट	0.020
276/14 पार्ट	0.016
276/15 पार्ट	0.024
276/17 पार्ट	0.027
279/1- पार्ट	0.101
279/2 पार्ट	0.048
279/4 पार्ट	0.024
280/2/1 पार्ट	0.036
280/2/2 पार्ट	0.021
281/1/1 पार्ट	0.020
282/1/1 पार्ट	0.024
282/2/1 पार्ट	0.010
योग :	0.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर की योजना क्रमांक 159 हेतु इन्दौर शहर की विकास योजना के अनुरूप एम.आर. 10 को आर.ई. 2 से बायपास तक जोड़ने बाबत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 6 मार्च 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—मुनासा  
(ग) ग्राम—भिलाई  
(घ) अर्जित रकबा—2.07 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
14	पैकी 0.05
15	पैकी 0.07
16	पैकी 0.08
17	पैकी 0.07
18	पैकी 0.06
19	पैकी 0.04
35/1	पैकी 0.20
35/2	पैकी 0.15
35/3	पैकी 0.19
35/4	पैकी 0.17
35/5	पैकी 0.15
35/6	पैकी 0.15
36	पैकी 0.55
43	पैकी 0.14
योग : 2.07	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—मुनासा  
(ग) ग्राम—सिवरिया  
(घ) अर्जित रकबा—2.15 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
16	0.02
19	0.20
20	0.24
21	0.07
22	0.07
24	0.16
25/1	0.22
25/2	0.19
163	0.09
164/2	0.34
171	0.43
172/1	0.12
योग : 2.15	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो श्री, सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. 26-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—दिनकरपुरा  
(घ) अर्जित रकबा—2.96 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
213	पैकी 1.09
214/2	पैकी 0.40
217/2	पैकी 0.05
217/3	पैकी 0.25
221/2	पैकी 0.13
222	पैकी 0.02
223	पैकी 0.33
224	पैकी 0.27
225	पैकी 0.23
226/1	पैकी 0.19
योग : 2.96	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—  
श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र. 27-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा  
(ख) तहसील—पुनासा  
(ग) ग्राम—देवला  
(घ) अर्जित रकबा—10.19 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
153/1	पैकी 1.46
153/2	पैकी 0.02
156	पैकी 1.81
157/1	पैकी 0.06
176	पैकी 0.02
197/1	पैकी 0.63
200	पैकी 1.43
203	पैकी 0.21
204	पैकी 0.21
205/1	पैकी 0.31
205/3	पैकी 0.30
208/1	पैकी 0.27
208/3	पैकी 0.79
222	पैकी 0.51
223	पैकी 0.02
226	पैकी 0.06
293	पैकी 0.05
295	पैकी 0.20
296	पैकी 0.32
297	पैकी 0.23
305/1	पैकी 0.27



(1)	(2)	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
		(1)	(2)
305/2	पैकी 0.57		
305/3	पैकी 0.35		
302/2	पैकी 0.03	284	0.204
326	पैकी 0.06	286/5	0.081
	योग : <u>10.19</u>	288	0.086
		289	0.081
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना (4×600 मे.वा.) जिला खण्डवा के अन्तर्गत रेल मार्ग के निर्माण हेतु.		290	0.004
		291	0.008
		292	0.261
		294	0.248
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग क्रमांक दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना, म.प्र.पा.जन.कं.लि., खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		295	0.225
		302	0.021
		303	0.202
		306	0.088
		307	0.202
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.		308	0.202
		309	0.032
		310	0.121
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		311	0.071
		312	0.040
		313	0.082
छतरपुर, दिनांक 10 मार्च 2010		314/1	0.117
		314/2/1	0.154
प्र. क्र. 16-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		320/3	0.007
		321	0.255
		322	0.333
		323	0.350
		593/1	0.115
		593/2	0.032
		593/3	0.032
		593/4	0.032
(1) भूमि का वर्णन—		593/5	0.030
(क) जिला—छतरपुर		594/1	0.040
(ख) तहसील—गौरिहार		594/2	0.134
(ग) ग्राम—गोयरा		594/3	0.050
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —7.056 हेक्टर.			

(1)	(2)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लॉन्डी में किया जा सकता है.
611	0.121	
612	0.101	
614	0.088	
867/1/1	0.012	प्र. क्र. 34-अ-82-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—
868	0.222	
870	0.326	
872	0.161	
873/1	0.098	
873/2	0.076	
891	0.036	
897/2	0.085	
897/3	0.086	
898	0.138	
899	0.064	
909/1	0.148	
933/1	0.100	
933/2	0.076	
934	0.016	
935/1	0.036	
937/1	0.076	
940/1	0.121	
947	0.146	
948	0.036	
950	0.008	
951/1	0.064	
951/2	0.278	
954	0.142	
955	0.151	
2533/310	0.104	
योग : <u>7.056</u>		

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—महोबा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.881 हेक्यर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

148

0.337

153

0.544

योग : 0.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत खडेही वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लॉन्डी में किया जा सकता है.

(4) पूर्व में धारा 4(1) की अधिसूचना में ग्राम महोबा उल्लेख है. महोबा के स्थान पर महोबा मान्य हो एवं महोबा पढ़ा जावे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत रामपुर घाट वितरक नहर हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.